UPAL040300052022

न्यायालय पीठासीन अधिकारी
अतिरिक्त न्यायालय, अलीगढ़।

मुकदमा संख्या 26518/2022
मै0 जीवा ट्रेडिंग कं0 प्रो0 उमेश शर्मा उर्फ उमेश चन्द्र शर्मा
बनाम
श्रीमती अरूणा देवी परसुराम पुरिया प्रो0 मै0 माँ मंगला साइकिल स्टोर
अ0धा0 138 एन0आई0 एक्ट
थाना गांधीपार्क जनपद अलीगढ़

दिनांक 23.01.2024 – विशेष लोक अदालत

वाद पुकारा गया। परिवादी/मुख्तारखास सुनील शर्मा – मै0 जीवा ट्रेडिंग कं0 एवं अभियुक्ता श्रीमती अरूणा देवी परसुराम पुरिया प्रो0 मै0 माँ मंगला साइकिल स्टोर मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावाली वास्ते हाजिरी हेतु नियत है। पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा समझौतानामा 8अ इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि हम पक्षकारों ने सम्भ्रान्त लोगों से मिलकर राजीनामा करा लिया है तथा अब कोई निजा बाकी नहीं हैं। राजीनामा का होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त दशा में हम पक्षकारों का राजीनामा करने की कृपा की जाये। परिवादी/मुख्तारखास सुनील शर्मा के हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार गुप्ता एडवोकेट द्वारा की गई है तथा अभियुक्ता श्रीमती अरूणा देवी परसुराम पुरिया के हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रियांशू एडवोकेट द्वारा की गई है।

सुलहनामा 8अ परिवादी एवं अभियुक्ता को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिस पर पक्षगण की ओर से अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की गई तथा पक्षगण की ओर से प्रार्थना की गई कि अब हम पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है। इसलिये हमारे बीच समझौतानामा 8अ स्वीकार कर उक्त वाद का निस्तारण कर दिया जाय।

उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी/मुख्तारखास सुनील शर्मा एवं अभियुक्ता श्रीमती अरूणा देवी परसुराम पुरिया के दरमियान प्रस्तुत वाद समझौतानामा 8अ हर्जे पर स्वीकार होने योग्य है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था मै0 मीटर्स एण्ड इन्सट्रूमेन्ट्स प्रा0 लि0 बनाम कंचन मेहता में अवधारित किया गया है।

आदेश

प्रस्तुत वाद समझौतानामा 8अ के आधार पर रू. 500/– (रूपये पाँच सौ मात्र) हर्जे पर स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। हर्जा की धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीगढ़ के कार्यालय में जमा की जाये तथा पत्रावली अनुपालन के उपरान्त नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक : 23.01.2024

(रईस अहमद)
पीठासीन अधिकारी
अतिरिक्त न्यायालय, अलीगढ़